झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

संоसं0–म0नि0–II–उ0यो0– 46/2017–18/ 05 /मत्स्य, राँची, दिनांक 15.4.17

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष 4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के बजट उपबंध के अंतर्गत मो0 3600.00 लाख (छत्तीस करोड़) रु0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना अन्तर्गत वेद व्यास आवास योजना की स्वीकृति के संबन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कहना है कि सामान्य विभागीय राज्यादेष संख्या 12 दिनांक 16.08.2016 तथा ऑनलाईन राज्यादेश संख्या 1191 दिनांक 16.08.2016 के कम में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के बजट उपबंध के अंतर्गत मो0 3600.00 लाख (छत्तीस करोड़) रु0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना के वेद व्यास आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में मछुआरों के लिए कुल 3000 पक्का आवास के निर्माण का भौतिक लक्ष्य है। इसका ऑन–लाइन स्वीकृत्यादेष कमांक 193 दिनांक 11.04.17 है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष 4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय–69–वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत कुल भारित व्यय मो0 3600.00 लाख (छत्तीस करोड़) रु0 मात्र निम्न लघु शीर्षों के अनुरुप व्यय किए जायेंगे जिसके लिए समुचित योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है:

(राषि लाख रू0 में)

क0	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1	लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–69– वेद व्यास आवास योजना – विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण 45–निर्माण कार्य, 53 S 4405 00 789690545	510.00	510.00
2	लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना –69– वेद व्यास आवास योजना – विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण 45– निर्माण कार्य, 53 S 4405 00 796690545	1410.00	1410.00
3	लघु शीर्ष 101–अन्तर्देशीय मछली पालन –69– वेद व्यास आवास योजना – विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण 45– निर्माण कार्य, 53 S 4405 00 101690545	1680.00	1680.00
	कुल	3600.00	3600.00

(कुल मो0 छत्तीस करोड़ रु0 मात्र)

3. (क) यह एक राज्य योजना है।

(ख) योजना के कार्यान्वयन में आवास का निर्माण कम–से–कम 10 के कलस्टर में किया जायेगा। 25 का कलस्टर अच्छा होगा।

4. लाभुकों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा कलस्टर में किया जाएगा। चयन समिति में संबंधित जिले के माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।

5. इस योजना में लाभुक चयन निम्न प्रकार से किया जाना है:

कृषि विभाग द्वारा अधिष्ठापित सिंगल विन्डो के माध्यम से प्राप्त आवेदनों अथवा आवष्यकता अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनो में से लाभुको का चयन किया जायेगा साथ ही लाभुकों के चयन में **योजना बनाओ अभियान** के इच्छुक लाभुकों को प्राथमिकता दी जायगी।

i. सक्रिय अथवा परम्परागत मत्स्य पालक/मछुआ जो मत्स्य उत्पादन/मत्स्य बीज उत्पादन/प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने/मत्स्य बिकी में सक्रिय हों।

ii. प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे कच्चे मिट्टी से बने अथवा फूस के मकान में रहने वाले मछुआ/मत्स्य पालक को दी जायेगी।

iii. घर हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चा घर वाले मछुआरों को भी कंडिका (i) एवं (ii) के अतिरिक्त लाभान्वित किया जा सकता है। एक परिवार में एक आवास देय है। आवश्यकतानुसार पति–पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृति दी जायेगी।

iv. प्रक्रियानुसार आवेदक विकलांगों हेतु स्वीकृत राषि का न्यूनतम 3 प्रतिषत तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 10 प्रतिषत राषि का प्रावधान जिलावार किया जायेगा।

v. ऐसे लाभुकों को दोबारा लाभ नहीं दिया जायेगा, जो पूर्व संचालित विभागीय मछुआ आवास योजना अथवा इन्दिरा आवास या समतुल्य केन्द्र/राज्य सरकार की आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में एक लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो। लाभुकों की अर्हता की जॉच स्वयं संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी निर्धारित मापदण्ड पर करेंगे।

6. (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (इंदिरा आवास) के मानक प्राक्कलन के आधार पर आवास निर्माण का कार्य लाभुकों के द्वारा स्वयं कराया जाएगा। लाभुक आवश्यकता अनुसार छत ढलवां अथवा समतल रख सकते हैं। आवास निर्माण हेतु अधिकतम प्रति लाभुक मो0 1,20,000/–रु0 की आर्थिक सहायता होगी। पक्का आवासों का निर्माण मछुआरों की निजी जमीन पर कराया जाएगा। इसके लिए जिला मत्स्य कार्यालय के खाते से एकाउन्ट स्थानांन्तरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभुक मछुआरों के बैंक खाते में राषि उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) सक्षम प्राधिकार से चयनित लाभुकों के लिए बैंक से राशि की निकासी हेतु जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा विमुक्ति का आदेश निम्न रुप से कार्य की प्रगति के अनुसार किया जायगा :

(i) प्लिंथ स्तर (20%) (ii) छत स्तर (15%)

(iii) छत ढलाई/निर्माण (40%) (iv) फिनिशिंग हेतु राशि दी जायेगी (25%)

05
15/5/17

7. शीर्षवार जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है—

मुख्य शीर्ष—4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय—उप शीर्ष—69— वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत लघु शीर्ष एवं जिलावार भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)

क्र0	जिला का नाम	लघु शीर्ष 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45—निर्माण कार्य		लघु शीर्ष 796— जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45—निर्माण कार्य		लघु शीर्ष 101— अन्तर्देशीय मछली— पालन, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45—निर्माण कार्य		कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रॉची	35	42.00	130	156.00	0	0.00	165	198.00
2	खूंटी	30	36.00	60	72.00	0	0.00	90	108.00
3	गुमला	10	12.00	70	84.00	0	0.00	80	96.00
4	सिमडेगा	10	12.00	80	96.00	0	0.00	90	108.00
5	लोहरदगा	20	24.00	80	96.00	0	0.00	100	120.00
6	पलामू	20	24.00	0	0.00	180	216.00	200	240.00
7	लातेहार	10	12.00	90	108.00	0	0.00	100	120.00
8	गढ़वा	25	30.00	0	0.00	160	192.00	185	222.00
9	पूर्वी सिंहभूम	15	18.00	90	108.00	0	0.00	105	126.00
10	प0 सिंहभूम	20	24.00	100	120.00	0	0.00	120	144.00
11	सरायकेला	10	12.00	100	120.00	0	0.00	110	132.00
12	हजारीबाग	20	24.00	0	0.00	80	96.00	100	120.00
13	रामगढ़	10	12.00	0	0.00	80	96.00	90	108.00
14	कोडरमा	15	18.00	0	0.00	80	96.00	95	114.00
15	बोकारो	20	24.00	0	0.00	100	120.00	120	144.00
16	धनबाद	20	24.00	0	0.00	80	96.00	100	120.00
17	गिरिडीह	20	24.00	0	0.00	90	108.00	110	132.00
18	चतरा	10	12.00	0	0.00	100	120.00	110	132.00
19	देवघर	45	54.00	0	0.00	330	396.00	375	450.00
20	दुमका	10	12.00	100	120.00	0	0.00	110	132.00
21	जामताड़ा	20	24.00	90	108.00	0	0.00	110	132.00
22	पाकुड़	10	12.00	85	102.00	0	0.00	95	114.00
23	साहेबगंज	10	12.00	100	120.00	0	0.00	110	132.00
24	गोड्डा	10	12.00	0	0.00	120	144.00	130	156.00
	योग :	**425**	**510.00**	**1175**	**1410.00**	**1400**	**1680.00**	**3000**	**3600.00**

8. योजना स्थल का चयन एवं योजना की Feasibility एवं सफलता का दायित्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा।

05
15/5/17

9. लाभुकों के चयन के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/ मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक स्थल की जॉच तथा लाभुकों के आवेदन में वर्णित तथ्यों की छानबीन कर संतुष्ट हो लेंगे। लाभुक की सूची/उसके फोटोग्राफ/स्थायी पता/खाता–खेसरा जिस पर आवास निर्माण हो रहा है उसका ब्यौरा पंजी में संधारित करेंगे। Ground reality से मेल नहीं पाने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी दोषी होंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सम्पर्क कर स्वच्छता हेतु शौचालय निर्माण का प्रयास करेंगे।

लाभान्वितों के संबंध में प्रत्येक जिला मत्स्य कार्यालय में फोल्डर संधारित कर रखे जायेंगे, जिनमें उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधा से उनकी दशा में आये सुधार का वर्णन रहेगा। योजना के लाभुक का नाम ब्यौरा, पूर्व, वर्तमान आवास का फोटो अभिलेख अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा जिला Web site पर भी डालेंगे।

10. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेषक मत्स्य झारखंड राँची/ जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉची/चाईबासा/जमशेदपुर/गुमला/लोहरदगा /पलामू/ गढ़वा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद/बोकारो/हजारीबाग/गिरिडीह/देवघर/ चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसॉवा/ सिमडेगा/लातेहार/जामताड़ा/पाकुड़ / रामगढ़/खूँटी एवं कोडरमा होंगे, जो उपरोक्त कंडिका–7 में दर्शाये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य एवं सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव/ विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

11. इस योजना अन्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016–17 की स्वीकृत योजना में कुल 2307.00 लाख रू0 मात्र में से अब तक मो0 2217.00 लाख रू0 मात्र का व्यय हुआ है।

12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17–04–98 तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक सी0एस02/आर0–01/2005–302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

14. वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अंतर्गत ही व्यय होगा।

15. वित्तीय वर्ष 2016–17 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही ~~निदेशक मत्स्य द्वारा~~ वित्तीय वर्ष 2017–18 का आवंटन निर्गत किया जायगा।

16. इस योजना अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना/इंदिरा आवास योजना के मानक प्राक्कलन के आधार पर किया जाना है, प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरुप ही हो।

17. प्रस्तावित निर्माण कार्य का दोहरीकरण नहीं हो।

05
15/4/17

18. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

15/4/17

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 05 मत्स्य / रॉची , दिनांक 15.4.17

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/4/17
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 05 मत्स्य / रॉची , दिनांक 15.4.17

प्रतिलिपि : जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी)/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/संयुक्त मत्स्य निदेशक/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/4/17
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 05 मत्स्य / रॉची , दिनांक 15.4.17

प्रतिलिपि : योजना सह वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, रॉची /आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

15/4/17
सरकार के सचिव